न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

राजस्व अपील संख्या :–26/2015

लक्ष्मी पत्नी रतनलाल पहाडिया जाति खटीक निवासी कस्बा भुसावर जिला भरतपुर।

....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

..... असल रेस्पो0

2. बल्देव पुत्र बृजकिशोर
3. रानी पत्नी } स्व0 पूरनसिंह } जातियान जाट निवासी बांसी कलां
4. खमानसिंह पुत्र } तहसील व जिला भरतपुर
5. अमरसिंह पुत्र बृजकिशोर
6. राष्ट्रीय राजमार्ग स0 11 जरिये

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्व आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 22.05.2015 बावत् नामान्तकरण संख्या 568 वाके ग्राम बांसी कलां तहसील भरतपुर।

———

उपस्थितः–

1. श्री हेमराज शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री पुष्पेन्द्र सिंह राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 10.08.2021**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0भू0राजस्व अधिनियम (मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम) विरूद्व आदेश दिनांक 22.05.2015 तहसीलदार भरतपुर बाबत नामान्तकरण सख्या 568 वाके ग्राम बांसी कलां तहसील भरतपुर पेश की है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम बांसी कलां तहसील भरतपुर स्थित आ0ख0न0 26 पर अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट्स सह खातेदार दर्ज थे। अपीलान्ट ने उक्त खसरा नम्बर के

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

विभाजन हेतु धारा 53 आर.टी.एक्ट के तहत एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के यहां प्रस्तुत किया जिसका निस्तारण न्यायालय द्वारा लोक अदालत में दिनांक 22.05.2015 को सभी हिस्सेदारों के बीच उनके हिस्से अनुसार डिक्री कर दिया। डिक्री अनुसार पक्षकारान के अलग–अलग खाते कायम करते हुए न्यायालय द्वारा डिक्री की इजराय तहसीलदार भरतपुर को पालनार्थ भेजी गई, जिसके आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तकरण 568 भरतपुर मय भू0अभि0निरीक्षक की रिपोर्ट के तहसीलदार भरतपुर को प्रस्तुत किया। उक्त नामान्तकरण को तहसीलदार भरतपुर द्वारा दिनांक 22.05.2015 को बिना किसी आधार के खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्व है जबकि तहत अदालत सक्षम न्यायालय की डिक्री की पालना हेतु बाध्य है। तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण निरस्त करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर भी नही दिया गया है। तहत अदालत उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के विरूद्व पारित किया गया है जो काबिल खारिज के है। अपीलान्ट को इसकी जानकारी नकल लेने की दिनांक 29.06.2015 को होने पर जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई। अन्त में अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये तहत आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न पत्रावली है। पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने तर्को में अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया है कि तहत न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अपीलाधीन नामान्तकरण अस्वीकृत किया गया है, जो न्याय संगत नही है। न्यायालय की डिक्री की पालना तहत न्यायालय को आवश्यक रूप से करनी चाहिए। मनमानी तरीके से सक्षम न्यायालय के आदेश हस्तक्षेप करना कानूनन विरूद्व हैं। तहत न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि संगत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2015 बावत् नामान्तकरण संख्या 568 वाके ग्राम बांसी कलां को खारिज करने का अनुरोध अपनी बहस में किया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया है कि अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है व अपील मियाद बाहर है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

हमने अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रथमतः अपील के मियाद बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अपील के साथ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पूर्व में उक्त आदेश की उन्हें जानकारी नहीं थी। दिनांक 29.06.2015 को पटवारी हल्का के बताने पर जानकारी हुई। तत्पश्चात् दिनांक 29.06.2015 को नकल प्राप्त कर जानकारी की दिनांक 29.06.2015 से

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलान्ट द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। वैसे भी अपील अधिक विलम्ब से पेश नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद्र शुमार की जाती है। तत्पश्चात् अपील की मैरिट पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 568 दिनांक 22.05.2015 पर गौर किया। उक्त नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय/डिक्री की पालना में भरा गया है जो तहसीलदार भरतपुर द्वारा पक्षकारान के हिस्से वर्गमीटर में होने से नामान्तकरण को विधि विरूद्व तरीके से अस्वीकृत किया गया है। तहसीलदार द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश की पालना न कर अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर नामान्तकरण अस्वीकार किया गया है, जो विधि सम्मत् नही कहां जा सकता। तहत न्यायालय का यह कृत्य नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। अतः हमारे न्यायिक मत में अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार भरतपुर के आदेश दिनांक 22.05.2015 बावत् नामान्तकरण संख्या 568 आ0ख0न0 26 वाके ग्राम बांसी कलां तहसील भरतपुर खारिज किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि तहसीलदार भरतपुर दाखिला खारिज खोले जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर